

मृत्युदंड और दया याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय के दशा-नरिदेश

प्रलिस के लयल:

मृत्युदंड से संबंढतल प्रमुख मलले, मृत्युदंड संबंढी प्रलवधलन, अनुचछेद 21 ।

मेन्स के लयल:

मृत्युदंड और दया याचलकलओं पर सर्वोच्च न्यायललय के दशल-नरलदेश, मृत्युदंड एवं संबंढतल तरक ।

[सुरत: हदुसतलन टलडुस](#)

चरुल में कुर्युं?

हलल ही में [भलरत के सर्वोच्च न्यायललय \(SC\)](#) ने [मृत्युदंड](#) तथल दया याचलकलओं के संदरुभ में वुयलपक दशल-नरलदेश जरुी कयल हूं ।

- सर्वोच्च न्यायललय ने [2019](#) मलले में [बुंमूबे उच्च न्यायललय के फूसले कु बरकरलर रखल](#), जसलमें बरुष 2007 के पुणे BPO सलमूहकल बललतुकर तथल हतुयल के मलले में दुु दुुषयुं कल मूत कल सजल ककुअतुयधकल देरी के करण 35 सलल के आकुवलन करलवलस में बदल दयल गयल थल ।

मृत्युदंड और दया याचलकलओं पर सर्वोच्च न्यायललय के दशल-नरलदेश क्यल हूं?

- समरुपतल कुंदरुं कल सथलपनल:**
 - सर्वोच्च न्यायललय ने सभल रलकुयुं और कुंदरशलसतल प्रदरेशुं कु नरलदेश दयल कवल [दया याचलकलओं](#) कु कुशलतलपूरवक एवं नरलधलरतल समय सीमल के अंदर नपलटलने के लयल अपने गृह यल जेल वभलगुं में [समरुपतल कुंदरुं](#) कल सथलपनल करूं ।
 - इन कुंदरुं कल प्रबंढन एक नलमतल अधकलरुी दवलरल कयल जलनल कलहयल जनलके संपरुक ववलरण सभल जेलुं के सलथ सलडुल हूं तथलवधलडल नयलय वभलगुं के एक अधकलरुी दवलरल वधकल अनुपललन सुनशलकुतल कयल जलए ।
- जलनकरुी सलडुल करनल:**
 - जेल प्रलधकलरुलकुं कु दया याचलकलओं एवं इससे संबंढतल ववलरण (जैसे कलदुुषी कल पृषुठभूमल, करलवलस कल इतहलस एवं कलनूनी दसुतलवेजुं) कु समरुपतल कुंदरुं कु भेजनल कलहयल ।
 - इनके दवलरल पुलसल रलपुुलरु, FIR, सुनवलई संबंढी सलकुषु एवं न्यायललय के फूसले भल समरुपतल कुंदरुं के अधकलरुी और गृह वभलगुं के सचवल कु भेजने कलहयल ।
 - दया याचलकलओं कु अनलवशुयक वललंब के बनल आगे कल कररुवलई हेतु तुरुंत [रलकुडलल](#) यल [रलषुदरुपतल](#) सचवललय भेजल जलनल कलहयल ।
- इलेकुदरुनकल संचलर:**
 - करुयकुशलतल बदुलने के करुम में गुुपनीयतल कल आवशुयकतल वलले मलललुं कु छुडकर, सभल संचलर इलेकुदरुनकल रूड से (ईमेल के मलधुयड से) कयल जलने कलहयल ।
- मृत्युदणुड से संबंढतल मलललुं कल रकुुलरुड रखनल:**
 - सतु न्यायललयुं दवलरल [मृत्युदंड से संबंढतल मलललुं कल रकुुलरुड](#) रखनल कलहयल तथल [उच्च न्यायललय](#) यल [सर्वोच्च न्यायललय](#) से आदेश प्रलपुत हुने पर उनहूं शीघुरतल से वलद सुकुी में सुकुीबदुध करनल कलहयल ।
 - इसके अतरलकुलत अपील, समीकुषल यलचकल यल दया याचकल सहतल कसल भल लंबतल वधकल उपचलर कल सथतल कल पतल लगलने के लकुशलकुड लुक अभयलकुजकुं यल जलुुच एजेंसलुं कु नुुतसल जरुी कयल जलनल कलहयल ।
- नषलपलदन वलरुंत प्रुुतुकुुल:**
 - नषलपलदन वलरुंत जरुी करुने एवं उसके करुयलनुवुयन के बीच अनवलरुय रूड से 15 दनल कल अंतुरल हुनल कलहयल ।
 - दुुषयुं कु वधकल प्रतनलधलतलव के उनके अधकलरु के बलरे में सुकुतल कयल जलने के सलथ वलरुंत एवं इसे जरुी करुने के आदेश कल प्रतलुुं तुरुंत उपलबुध करलई जलनी कलहयल ।
 - यदल दुुषी दवलरल वलरुंत कु कुनुुतल देने कल अनुुरुुध कयल जलतल हे तु उसे शीघुर ही वधकल सलहलतल प्रदलन कल जलनी कलहयल ।
- रलकुड सरकर कल कुडलमेदलरुी:**

- मृत्युदंड अंतिम एवं प्रवर्तनीय हो जाने के बाद राज्य सरकार को नषिपादन वारंट हेतु आवेदन करना चाहिये।

मृत्युदंड और दया याचिका क्या है?

- **परिचय:** इसे **प्राणदंड** भी कहा जाता है और यह भारतीय न्यायपालिका का सबसे गुरुतर दंड है।
 - इसमें किसी व्यक्ति को उके द्वारा कारति गंभीर अपराधों के दंड के रूप में **राज्य द्वारा मृत्युदंड दिया जाता है।**
- **मृत्युदंड का वधिकि ढाँचा:**
 - भारत में मृत्युदंड **भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023** और अन्य वशिष वधिकियों के वभिनिन प्रावधानों द्वारा शासति है।
 - **BNS {भारतीय दंड संहिता (IPC) का स्थान लेता है} बलात्संग से मृत्यु (धारा 66), नाबालगिों के साथ सामूहिक बलात्संग (धारा 70 (2)), पुनरावृत्तकिर्रता अपराधियों के लयि दंड (धारा 71) आदि अपराधों के लयि मृत्युदंड का प्रावधान करता है।**
 - **भारतीय दंड संहिता की धारा 53** में मृत्युदंड के साथ-साथ आजीवन कारावास और कारावास जैसे अन्य डंडों का प्रावधान है।
 - मृत्युदंड वाले वशिषिट अपराधों में **हत्या (धारा 302), आतंकवाद (वधिविरुद्ध करयिकलाप (नवारण) अधनियिम, UAPA), और सवापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधनियिम (NDPS), 1985** के तहत **सवापक औषधियों की तस्करी** से संबंधति वशिष अपराध शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमति नहीं है।
- **भारतीय संवधान:**
 - **भारतीय संवधान** में स्पष्ट रूप से **मृत्युदंड को असंवधानिक घोषति नहीं कयिा गया है।**
 - हालाँकि, जैसा कि **1980** में रेखांकति कयिा गया है, सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों के लयि 5 श्रेणियों नरिधारति की हैं, जनिमें **क्रूर हत्या, दुराचारी आशय और बड़े पैमाने के अपराध शामिल** हैं, जनिमें मृत्युदंड दिया जाता है।
- **दया याचिका:** यह मृत्युदंड या कारावास की सजा पाए किसी व्यक्ति द्वारा **राष्ट्रपति या राज्यपाल**, जैसा भी मामला हो, से दया की मांग करते हुए कयिा गया औपचारिक अनुरोध है।
- **संवधानिक ढाँचा:**
 - भारत में संवधानिक ढाँचे के अनुसार, राष्ट्रपति के पास दया याचिका एक दोषी का अंतिम संवधानिक उपाय है, जिसका अनुरोध वह (दोषी) तब कर सकता है जब उसे किसी न्यायालय द्वारा दंड दिया जाता है। एक दोषी भारत के संवधान के **अनुच्छेद 72** के तहत **भारत के राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका प्रस्तुत कर सकता है।**
 - इसी प्रकार, भारत के संवधान के **अनुच्छेद 161** के तहत क्षमादान देने की शक्ति राज्यों के **राज्यपालों** को प्रदान की गई है।

अनुच्छेद 72	अनुच्छेद 161
<ul style="list-style-type: none"> ■ राष्ट्रपति को, किसी अपराध के लयि सिद्धिदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रवलिनबन, वरिम या परहार करने की अथवा दंडादेश के नलिंबन, परहार या लघुकरण की शक्ति होगी: ■ उन सभी मामलों में, जनिमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, ■ उन सभी मामलों में, जनिमें दंड या दंडादेश ऐसे वशिष संबंधी किसी वधि के वरिद्ध अपराध के लयि दिया गया है जिस वशिष तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का वसितार है, ■ उन सभी मामलों में, जनिमें दंडादेश, मृत्यु दंडादेश है। 	<ul style="list-style-type: none"> ■ इसमें प्रावधान है कि किसी राज्य के राज्यपाल को उस वशिष संबंधी, जिस वशिष पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वसितार है, किसी वधि के वरिद्ध किसी अपराध के लयि सिद्धिदोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रवलिनबन, वरिम या परहार करने की अथवा दंडादेश में नलिंबन, परहार या लघुकरण की शक्ति होगी। ■ वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने अभनिरिधारति कयिा कि किसी राज्य का राज्यपाल मृत्युदंड की सजा पाए कैदियों सहति अन्य कैदियों को न्यूनतम 14 वर्ष के कारावास की सजा पूरी करने से पहले भी क्षमा कर सकता है।

मृत्युदंड और दया याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय के दशा-नरिदेशों के क्या नहितारथ हैं?

- **देरी में कमी:** दया याचिकाओं पर कार्रवाई के लयि समरपति प्रकोषठों की स्थापना और एक संरचित दृष्टिकोण सेदेरी कम होगी, जिससे समय पर समाधान सुनशिचति होगा। सत्र न्यायालयों द्वारा मामलों की नयिमति नगिरानी तथा शीघ्र सूचीबद्धता से प्रकरयिा में तेजी आएगी।
 - **उदाहरण :** **2017** मामले (जसि नरिभया बलात्कार मामले के रूप में भी जाना जाता है) में नरिभया के दोषियों की फाँसी में कई दया याचिकाओं और कानूनी चुनौतियों के कारण देरी हुई थी।
- **बढ़ी हुई जवाबदेही:** वभिनिन वभिगों के लयि नामति अधिकारी और **स्पष्ट जमिमेदारयिां पारदर्शति और जवाबदेही** सुनशिचति करेंगी, जिससे मामलों तथा याचिकाओं की प्रगति पर **नजर रखना आसान** हो जाएगा।
 - **उदाहरण:** शत्रुघन चौहान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2014) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दया याचिकाओं पर नरिणय लेने में अत्यधिक वलिंब के कारण न्यायालय मौत की सजा को कम कर सकते हैं।
- **कानूनी सहायता और मानवाधिकार:**
 - दशा-नरिदेश यह सुनशिचति करते हैं कि दोषियों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाए और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान की जाए तथा **अनुच्छेद 21** के तहत नषिक्षता और संवधानिक सुरक्षा को बनाए रखा जाए। वे **मृत्युदंड पर वकिसति हो रहे न्यायशास्त्र के अनुरूप हैं, और "दुर्लभतम" मामलों** और दंड को कम करने वाले कारकों पर ध्यान केंद्रति करते हैं।
- **मज़बूत न्यायिक नगिरानी:** सत्र न्यायालयों को रकिॉर्ड बनाए रखना चाहिये और मृत्युदंड के मामलों को समय पर सूचीबद्ध करना सुनशिचति करना चाहिये। नयिमति न्यायिक समीक्षा तथा राज्यपाल/राष्ट्रपति के साथ समन्वय न्याय की वफिलताओं के खलिाफ सुरक्षा प्रदान करता है।

मृत्युदंड पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले

- **बचन सहि बनाम पंजाब राज्य, 1980 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने केवल "दुर्लभतम" मामलों में ही मृत्युदंड देने का सदिधांत स्थापति कथि था ।**
 - इस कथन का तात्पर्य यह है कि मृत्युदंड केवल तभी दथि जाना चाहथि जब अपराध की गंभीर प्रकृति के कारण **आजीवन कारावास की वैकल्पिक** सजा अपर्याप्त समझी जाए ।
- **1973 में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन से वंचति करना संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है, यदईसा कानून द्वारा स्थापति प्रक्रथि के अनुसार कथि जाता है ।**
- **जगमोहन सहि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (1973) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद-21 के अनुसार, जीवन से वंचति करना संवैधानिक रूप से अनुमेय है यदईह कानून द्वारा स्थापति प्रक्रथि के अनुसार कथि जाता है ।**
 - इस प्रकार CrPC और भारतीय साक्ष्य अधनियम 1872 के तहत कानूनी रूप से स्थापति प्रक्रथिओं के अनुसार, मुकदमे के बाद सुनाई गई मौत की सजा अनुच्छेद-21 के तहत असंवैधानिक नहीं है ।
- **राजेंद्र प्रसाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य वाद (1973) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यदईक व्यक्तिका आपराधिक कृत्य योजनाबद्ध एवं खतरनाक तरीके से सामाजिक सुरक्षा को खतरे में डालता है, तो उसके मौलिक अधिकारों को समाप्त कथि जा सकता है ।**
- **माछी सहि बनाम पंजाब राज्य वाद (1983) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कसि भी मामले को 'दुर्लभतम मामले' की श्रेणी में शामिल करने अथवा न करने हेतु अपने वचिार प्रस्तुत कथि ।**

नषिपक्ष

मृत्युदंड और दया याचकिओं पर सर्वोच्च न्यायालय के दशिा-नरिदेशों का उद्देश्य प्रक्रथि को सुव्यवस्थति करना, समय पर नयाय सुनशिचति करना और संवैधानिक सुरक्षा उपायों को बनाए रखना है । ये उपाय पारदर्शति, कुशल संचार और नषिपक्ष नषिपादन पर ध्यान केंद्रति करते हैं, जो मृत्युदंड की गंभीरता को नषिपक्षता और मानवाधिकारों की आवश्यकता के साथ संतुलति करते हैं ।

1973 में, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 21 के अनुसार जीवन से वंचति करना संवैधानिक रूप से स्वीकार्य है, यदईसा कानून द्वारा स्थापति प्रक्रथि के अनुसार कथि जाता है ।

प्रश्न: मृत्यु दंड के नषिपादन और दया याचकिओं पर कार्यवाही के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के दशिा-नरिदेशों पर चर्चा कीजथि । इन दशिा-नरिदेशों का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रथि में देरी को कैसे दूर करना है और मृत्यु दंड के मामलों में नषिपक्षता सुनशिचति करना है?

UPSC सवलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न: मृत्यु दंडादेशों के लघूकरण में राष्ट्रपति के वलिंब के उदाहरण नयाय प्रतयाख्यान (डनियल) के रूप में लोक वाद-ववािद के अधीन आए हैं । कथा राष्ट्रपति द्वारा ऐसी याचकिओं को स्वीकार करने/अस्वीकार करने के लथि एक समय सीमा का वशिष रूप से उल्लेख कथि जाना चाहथि? वशि्लेषण कीजथि । (2014)